कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर–चाम्पा, छ.ग.

//विज्ञापन//

क्र./ 1581 /कले./2017 जांजगीर, दिनांक 15/12/17

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्र. एफ–7/34/2016/XII नया रायपुर, दिनांक 11.07.2017 के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 36 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT) हेतु जिला जांजगीर–चाम्पा हेतु पद संरचना में स्वीकृत पदों में संविदा भर्ती हेतु निम्न पद हेतु सेवा निवृत्त अर्हताधारी योग्य उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर–चाम्पा में अंतिम तिथि 15.01.2018 तक कार्यालयीन समय पर केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। संविदा भर्ती हेतु पदवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	वेतनमान–ग्रेड वेतन (रूपये में)	पद संख्या	रिमार्क
1	सहायक लेखा अधिकारी	25000 (प्रतिमाह निश्चित वेतन) या अंतिम आहरित वेतन – पेंशन में से जो भी कम हो।	01 पद अनारक्षित मुक्त	शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त कोषालय अधिकारी/ सहायक कोषालय अधिकारी
2	लेखापाल	5200–20200+2400	01 पद अनारक्षित मुक्त	शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त लेखापाल/सहायक ग्रेड–एक (पांच वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)

उपरोक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रक्रिया इत्यादि जिला पंचायत के सूचना पटल व एन.आई.सी. के वेबसाईट www.janjgir-champa.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

15/12/17
खनि अधिकारी
जिला जांजगीर–चाम्पा, छ.ग.

पृ.क्र./ 1582 /कले./2017 जांजगीर, दिनांक 15/12/17

प्रतिलिपि :–

01. संचालक छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर की ओर, उक्त विज्ञापन को प्रादेशिक एवं स्थानीय समचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
02. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जांजगीर–चाम्पा की ओर सूचनार्थ, आप उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रादेशिक एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चाम्पा की ओर, जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
04. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, जांजगीर–चाम्पा की ओर जांजगीर–चाम्पा की वेबसाईट पर दावा आपत्ति की सूची अपलोड करने का कष्ट करें।

15.12.17
खनि अधिकारी
जिला जांजगीर–चाम्पा, छ.ग.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर–चाम्पा, छ.ग.

//विज्ञापन//

क्र./1579/DMF/ख.लि./2017 जांजगीर, दिनांक 15/12/17

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्र. एफ–7/34/2016/XII नया रायपुर, दिनांक 11.07.2017 के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 36 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT) हेतु जिला जांजगीर–चाम्पा हेतु पद संरचना में स्वीकृत पदों में संविदा भर्ती हेतु निम्न पद हेतु सेवा निवृत्त अर्हताधारी योग्य उम्मीदवार **(सेवा निवृत्त कोषालय अधिकारी/सहायक कोषालय अधिकारी/लेखापाल/सहायक ग्रेड एक)** से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर–चाम्पा में अंतिम तिथि 15.01.2018 तक कार्यालयीन समय पर केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। संविदा भर्ती हेतु पदवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	वेतनमान–ग्रेड वेतन (रूपये में)	पद संख्या	न्यूनतम अर्हता
1	सहायक लेखा अधिकारी	25000 (प्रतिमाह निश्चित वेतन) या अंतिम आहरित वेतन – पेंशन में से जो भी कम हो।	01 पद अनारक्षित मुक्त	शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त कोषालय अधिकारी/ सहायक कोषालय अधिकारी
2	लेखापाल	5200–20200+2400	01 पद अनारक्षित मुक्त	शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त लेखापाल/सहायक ग्रेड–एक (पांच वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)

नियुक्ति का तरीका :–

01. प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्म जांच की जाकर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जो विज्ञापित पदों के पांच गुना होगी।
02. मूल प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
03. चयनित अभ्यर्थी के साथ 03 अभ्यर्थी की प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी जो कि एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

अन्य शर्तें :–

01. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन महंगाई भत्ता क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
02. **संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम/अधिकमत आयु सीमा छ.ग.शासन के आदेश लागू होगें।**
03. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
04. संविदा नियुक्ति समान्यतः एक वर्ष के लिये होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
05. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
06. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन,उपकम या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।
07. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

08. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र (सेवा निवृत्त आदेश एवं पेंशन प्रमाण पत्र) स्वहस्ताक्षरित /छ.ग. शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र नही होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

09. यह नियुक्ति रिट पिटीशन (सी) कमांक/591/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

10. प्राप्त आवेदन के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

11. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण–पत्रों की जांच सही पाये जाने पर नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा।

12. चिकित्सा एवं पुलिस सत्यापन के पश्चात कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

15.12.17

खनि अधिकारी
जिला जांजगीर–चाम्पा, छ.ग.

पृ.क्र./ 1580 /DMF/ख.लि./2017 जांजगीर, दिनांक 15/12/17

प्रतिलिपि :–

01. व्यस्थापक, छ.ग. जिला खनिज संस्थान एवं सचिव, छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

02. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जिला जांजगीर–चाम्पा की ओर एक प्रति के साथ प्रेषित है, आप जिले के वेबसाईट में अपलोड करें।

15.12.17

खनि अधिकारी
जिला जांजगीर–चाम्पा, छ.ग.